न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/317

श्रीमती पारी पत्नी छोटू पुत्री पिथा जाति धाकड निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गोपी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फलाईथा हाल निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा व कब्जा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 08 किता की 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि की पूर्व खातेदार श्रीमती बरजी विधवा पीथा थी । बरजी व पीथा की पुत्री वादी है जो वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की खातेदार है । वादिनी उक्त भूमि को आधौली से काश्त करवाती चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 372/1 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 603 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 606/1 रकबा 03 बीघा को छोडकर शेष आराजी को वादिनी वर्ष 1978 से ही काश्त करती चली आ रही है । उक्त भूमि को वादिनी ने काश्त करना चाहा तो प्रतिवादी गोपी लाल ने काश्त नहीं करने दिया और बलपूर्वक उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया । वादिनी ने अभी वर्ष

1986 में नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त भूमि प्रतिवादी गोपीलाल ने स्वयं के खाते में दर्ज करवा ली है जबकि गोपीलाल का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी नवीन खसरा नम्बर 372/1 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 603 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 606/1 रकबा 03 बीघा ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली का वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवोदी गोपीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादिनी को खातेदार अंकित किया जावे । वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी गोपीलाल को बेदखल किया जाकर वादिनी को कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2012 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2012 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिनी के कथनानुसार सन् 1986 में वाद प्रस्तुती से 13 वर्ष पूर्व सन् 1973 में वादिनी की माता का देहान्त होना स्पष्ट होता है जबकि प्रतिवादी गोपी के कथनानुसार वाद प्रस्तुती के 20–25 वर्ष पूर्व अर्थात् सन् 1961 से 65 के मध्य श्रीमती बरजी का देहान्त होना स्वीकार किया गया है । दोनों ही स्थितियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वादिनी स्वर्गीय बरजी बाई की एकमात्र पुत्री एवं प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी है । इस कारण वह वादग्रस्त आराजी की वैधानिक खातेदार है । स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है और अभिवचन में किसी तथ्य को स्वीकार करने के उपरान्त वह पक्षकार अभिवचन में स्वीकारोक्ति के विरूद्ध कथन से प्रतिबन्धित है । इस बिन्दु पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी गोपी ने प्रतिवादपत्र में श्रीमती केसर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सन् 1977 में दान पत्र द्वारा गोपी को प्राप्त होना प्रकट किया है और वादिनी ने सन् 1978 में गोपी द्वारा कब्जा करना बताया है । श्रीमती केसर एवं उनके पति हरनाथ जी बरजी के वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं थे उनके बावजूद हरनाथ को श्रीमती बरजी का देवर बताकर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया था जो अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पंजीकृत दान पत्र होने के कारण अपीलान्ट वादिनी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । यदि श्रीमती केसर वैधानिक खातेदार नहीं थी और उसके नाम भूमि दर्ज होना अवैध था तो इस स्थिति में उसके द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत दानपत्र ही अवैध है । ऐसे दानपत्र से दानग्रहिता को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार हस्तान्तरित नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनां 02.05.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा हक घोषणा एवं कब्जा बाबत् पेश किया था । पूर्व खातेदार वादिनी की माता श्रीमती बरजी बाई थी जिनका वाद प्रस्तुती के लगभग 13 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है । वादिनी श्रीमती बरजी की पुत्री है जो उनकी मृत्यु के

बाद विधिक उत्तराधिकारी है । वादिनी अपनी मॉ की मृत्यु के समय ससुराल ग्राम बालापुरा तहसील नैनवा में रहती थी । आठ वर्ष से वादिनी भवानीपुरा में रह रही है तथा बरजी की मृत्यु के बाद उक्त भूमियों की आधौली से खेती करवाती चली आ रही है । भूमि खसरा नम्बर 372/1 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 603 रकबा 18 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 606/1 रकबा 03 बीघा को सन् 1978 में वादिनी ने काश्त करना चाहता तो प्रतिवादी कम 1 ने काश्त नहीं करने दिया और भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया । वादिनी ने रिकॉर्ड की जानकारी ली तो दिनांक 19.04.1986 को जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादी गोपी ने विवादित भूमि को अपने खाते अंकित करा लिया है जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है । अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के द्वितीय भाग का निर्णय अपीलान्ट वादिनी के विरूद्ध करके कानूनी त्रुटि की है । वादिनी ने वादपत्र में कथन किया है कि वाद प्रस्तुती के लगभग 13 वर्ष पूर्व वादिनी की माता का देहान्त हो गया है । इस चरण के जवाब में प्रतिवादी ने वाद प्रस्तुती के 20–25 वर्ष पूर्व वादिनी की माता का देहान्त होना प्रकट किया है । वादिनी के कथनानुसार सन् 1986 में वाद प्रस्तुती से 13 वर्ष पूर्व सन् 1973 में वादिनी की माता का देहान्त होना स्पष्ट होता है, जबकि प्रतिवादी गोपी के कथानुसार वाद प्रस्तुती के 20–25 वर्ष पूर्व अर्थात् सन् 1961 से 65 के मध्य श्रीमती बरजी का देहान्त होना स्वीकार किया गया है । दोनों ही स्थितियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार वादिनी स्वर्गीय बरजी बाई की एकमात्र पुत्री एवं प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी है । इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है । प्रतिवादी ने जवाबदावे में जिस तथ्य को स्वीकार किया है उसके विपरीत कथन करने से वह एस्टोप्ड है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक रूप से जो साक्ष्य पेश की गई है उसका त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है । प्रतिवादी गोपी के द्वारा सन् 1977 में दानपत्र से वादग्रस्त आराजी को प्राप्त करना प्रकट किया है । वादिनी ने सन् 1978 में प्रतिवादी द्वारा कब्जा करना बताया है । श्रीमती केसर एवं उनके पति हरनाथ श्रीमती बरजी के वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं थे । उनके बावजूद हरनाथ को श्रीमती बरजी का देवर बताकर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया था जो अवैध है । श्रीमती केसर का पति हरनाथ वादिनी के पिता का सगा भाई नहीं था । वादिनी श्रीमती बरजी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है । बून्दी काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि श्रीमती बरजी का देहावसान सन् 1956 के बाद होने का तथ्य प्रतिवादी गोपी अपने प्रतिवादपत्र में स्वीकार कर चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र पंजीकृत दानपत्र होने के कारण अपीलान्ट वादिनी के विरूद्ध दावा निर्णित कर दिया जबकि इस तनकी में प्रतिवादी को यह साबित करना था कि प्रतिवादी केसर वैधानिक खातेदार थी और भूमि का दान करने के लिए अधिकृत थी यदि श्रीमती केसर वैधानिक खातेदार नहीं थी और उसे नाम भूमि दर्ज होना अवैध था तो इस स्थिति में उसके द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत दानपत्र ही अवैध है और ऐसे दानपत्र से दानग्रहिता को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार हस्तान्तरित नहीं होते हैं । अनुमान के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादिनी के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते । हरनाथ वादिनी के पिता के क्या लगते थे यह स्पष्ट नहीं किया है । नामान्तरकण प्रदर्श– ए–5 वर्ष 1961 में खोला गया है जिससे साबित है कि बरजी की मृत्यु 1961 के आस–पास हई है । प्रतिवादी के बयान डीडब्ल्यू–2 कराए गये हैं जिसमें कथन किया है कि जब बरजी मरी तब वादिनी 02 – 05 साल की थी । यदि बरजी की मृत्यु 1954 में मानी जावे तो उस समय वादिनी अविवाहित थी । प्रतिवादी गोपी ने कब्जा 1978 में होना बताया है । दावा सन् 1986 में किया गया है जो अवधि मध्य है । हरनाथ और बरजी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी को भंवर लाल गोदपुत्र हरनाथ के द्वारा काश्त किया जाना प्रकट हुआ है । पीडब्ल्यू– 2 ने अपना कब्जा बतौर आधौली वादिनी का होना बताया है और

आराजी वादिनी को संभलाना प्रकट किया है । इस प्रकार भंवर लाल के 1978 से पूर्व के कब्जे को वादिनी के विरूद्ध नहीं माना जा सकता । भंवर लाल ने वादिनी व उसकी माता की ओर से काश्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 02.05.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1987 अपे 106, एआईआर 1994 (एससी) पेज 227, 2006 आरआरडी पेज 837, 1984 आरआरडी पेज 280, आरआरडी 1984 पेज 851, 2011 आरआरडी पेज 508, 1983 आरआरडी पेज 310 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिनी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होगा। प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं दिया जा सकता । सन् 1986 में वाद पेश किया है उस समय न तो वो खातेदार थी और न ही वो कब्जे में थी । बरजी की मृत्यु और प्रतिवादी के पक्ष में दानपत्र निष्पादित होने तक वादिनी कब्जे में नहीं थी । वादिनी ने अपने दावे में 13 वर्ष पहले बरजी की मृत्यु होना बताया है । प्रतिवादी ने जवाबदावा में जानकारी के अनुसार 20–25 वर्ष पूर्व मृत्यु होना बताया है । मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है परन्तु उसे प्रदर्श नहीं करवाया गया है । आराजी बरजी की है यह प्रमाणित नहीं हो पाया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व ही बरजी की मृत्यु हो गई थी । वादिनी का दावा अवधि बाधित है, तत्समय प्रचलित बून्दी टीनेन्सी एक्ट की धारा 32 के अनुसार कम संख्या 13 पर अविवाहित और कम संख्या 14 पर भाई के पुत्र आते हैं और अंतिम बिन्दु पर पिता के भाई के पुत्र आते हैं । विवाहित पुत्रियों को तत्समय के कानून के अनुसार कोई अधिकार नहीं थे । भंवर लाल, केसर बाई और हरनाथ का लडका था और उसके कब्जे को वादिनी का कब्जा नहीं माना जा सकता । केसर और हरनाथ के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । 1986 में दावा पेश किया है और सन् 1988 में गिरवी को छुडाने का दस्तावेज पेश किया है । प्रतिवादी के कब्जे से पहले केसर का कब्जा था । केसर का पुत्र भंवर लाल उनसे अलग रहने लगा था । वादग्रस्त आराजी पर दानपत्र की तिथि में प्रतिवादी का कब्जा है । यदि वादिनी इस आराजी पर स्वयं का कब्जा बताती है तो उसे अपने कब्जे के समर्थन में तत्समय की गिरदावरी पेश करनी चाहिए थी जब कब्जे का इन्द्राज गिरदावरी में किया जाता था । इंतकाल 1961 में खोला गया है, बरजी बाई की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व ही हो गयी है । वादिनी ने स्वयं अपने बयानों में स्वीकार किया है कि मेरी माँ मरी तब राजाओं का ही राज होगा । बयानों में यह भी कथन किया है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मैं 10–11 वर्ष की थी । उस समय मेरे कोई बच्चे नहीं थे । इस प्रकार वादिनी के बयानों के अनुसार भी उसकी माता की मृत्यु राजाओं के राज में अर्थात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व हो गई थी और उसका विवाह हो गया था । इन समस्त तथ्यों के आधार पर चूँकि वादिनी की माता की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व हो गयी थी और तत्समय के कानून के अनुसार वादिनी विवाहित होने के कारण वादग्रस्त आराजी उनके पिता के भाई हरनाथ के खाते में लगी थी जो विधि सम्मत है । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं है और उनका कब्जा प्राप्त करने के अधिकार भी समाप्त हो चुके हैं । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2012 बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2006 डीएनजे (एससी) पेज 351, 1988 (2) डब्ल्यूएलएन पेज 389, 1987 आरआरडी पेज 51, 2006 (1) आरएलडब्ल्यू पेज

857, 2009 आरआरडी पेज 672, 1984 आरआरडी पेज 81, 2002 आरआरडी पेज 289, 1988 आरआरडी पेज 11, 2002 आरआरडी पेज 90, 2003 आरआरडी पेज 223 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर निर्णय दिनांक 10.10.1990 सहायक कलक्टर बून्दी का निर्णय संलग्न है जिसके अनुसार दावा डिक्री किया गया था । प्रदर्श– 4 नकल जमाबन्दी 2015 से 2018 संलग्न है जिसके अनुसार बरजी के खाते में कुल 12 किता की 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज है । नकल नामान्तरकरण प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकण संख्या 167 के अनुसार बरजी की मृत्यु होने पर उक्त भूमि हरनाथ के नाम खातेदारी में दर्ज़ की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श– 6 संलग्न है जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी हरनाथ वल्द हरदेव कौम धाकड के खाते में दर्ज है। नकल नामान्तरकरण पंजिका प्रदर्श– 7 संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 43 से केसर के स्थान पर भंवर लाल का नाम दर्ज किया गया है ।

10. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 प्रदर्श – ए– 1 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 08 किता की 15 बीघा भूमि गोपीलाल वल्द जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– ए–2 असल दानपत्र है जो केसर के द्वारा गोपी के पक्ष में कुल 08 किता की 15 बीघा आराजी के बाबत् निष्पादित किया गया है । प्रदर्श– ए–4 विक्रय की प्रामाणित प्रति है जो कि रामजानकी द्वारा रामप्यारी के पक्ष में भवानीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा में से 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया है । प्रदर्श– ए–5 विक्रय पत्र है जो भंवर लाल के द्वारा श्रीमती रामप्यारी के पक्ष में खसरा नम्बर 376 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का विक्रय किया गया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.1994 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अपील अपीलान्ट गोपीलाल स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय अपास्त किया गया है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 03.05.1999 के निर्णय की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है ।

11. वादिनी अपीलान्ट के द्वारा दावा बाबत् हक घोषणा एवं कब्जा हेतु सन् 1986 में पेश किया है और दावे की मद संख्या 03 में यह अंकित किया है कि उनकी माता बरजी बाई का स्वर्गवास लगभग 13 वर्ष पूर्व हुआ है । इस प्रकार वादिनी के दावे के अनुसार बरजी बाई की मृत्यु 1973 में हुई है । प्रतिवादी के द्वारा दावे का जो जवाबदावा पेश किया गया है उसकी मद संख्या 03 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी की जानकारी के अनुसार श्रीमती बरजी का देहान्त लगभग 20–25 वर्ष पूर्व हो गया है । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा सन् 1987 में पेश किया है तद्नुसार बरजी बाई की मृत्यु 1962 से 67 की बीच में हुई है । । पत्रावली पर जो नकल नामान्तरकरण संख्या 167 संलग्न उसके अनुसार बरजी बाई की मृत्यु हो जाने पर कुल 12 किता की 23 बीघा 18 बिस्वा आराजी हरनाथ वल्द हरदेव के खाते में दर्ज हुई है । इस प्रकार इस नामान्तरकरण से यह प्रमाणित होता है कि बरजी बाई की मृत्यु 1961 अथवा उसके पहले हुई थी । नामान्तरकरण में बरजी बाई की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं है । दौराने बहस विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि बरजी बाई की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गई थी और वादिनी उस समय विवाहित थी । इस कारण बून्दी टिनेन्सी एक्ट के अनुसार उनके

वादग्रस्त आराजी मे कोई अधिकार शेष नहीं है । इस क्रम में उनके द्वारा वादिनी के बयानों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया । वादिनी पारी बाई के बयान पीडब्ल्यू–1 में उन्होंने कथन किया है कि मेरे पिता की मृत्यु का साल याद नहीं है । मेरे पिता की मृत्यु हुई जब मैं 10–11 वर्ष की थी । मेरे उस समय बच्चे –बच्ची नहीं थे जिरह में उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मेरी मॉ मरी जब राजाओं का ही राज होगा । मेरी मॉ भी काफी वृद्ध होकर मरी । गवाह डीडब्ल्यू–2 बरधा ने अपनी जिरह में कथन किया है कि कांग्रेस राज आया था तब बरजी मरी थी । बरजी जब मरी तब पारी 02–05 साल की थी । इस प्रकार गवाहों के बयानों के आधार पर संदेह से परे यह विनिश्चय नहीं किया जा सकता कि बरजी की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गई थी और जब बरजी की मृत्यु हुई तब वादिनी विवाहित थी ।

12. दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस क्रम में विचारणीय है वो यह है कि प्रतिवादी जवाबदावे में किये गये कथनों से विपरीत कथन नहीं कर सकते हैं । जवाबदावे में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी की जानकारी के अनुसार बरजी का स्वर्गवास आज से 20–25 वर्ष पूर्व हुआ होगा । पत्रावली पर जो नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श– 5 संलग्न है उसके अनुसार सन् 1961 में बरजी की मृत्यु के आधार पर आराजी हरनाथ के खाते दर्ज की गई है । तद्नुसार इस समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यही प्रमाणित होता है कि बरजी की मृत्यु 1961 से पूर्व हो गई थी । वादिनी ने दावा सन् 1986 में किया है और वादिनी का यह कथन कि बरजी का देहान्त 13 वर्ष पूर्व हो गया है तथ्यों के विपरीत है । ऐसा प्रतीत होता है कि दावे को अवधि मध्य दर्शाने के लिए यह कथन किया गया है क्योंकि बरजी वादिनी की मॉ है और जब 1961 में उनकी मृत्यु होने पर नामान्तरकरण खोला जा चुका है तो इससे यही प्रतीत होता है कि दावे को अवधि मध्य दर्शित करने के लिए दावे की मद संख्या 03 में बरजी की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व होना बताया गया है ।

13. पत्रावली पर संलग्न नामान्तरकरण संख्या 167 के अनुसार सन् 1961 से आराजी हरनाथ के खाते दर्ज हो चुकी है और वादिनी की ओर से जो बयान मोतीशंकर पीडब्ल्यू– 3 कराये गये हैं उसमें यह कथन किया गया है कि बरजी के मरने के बाद समस्त भूमि हरनाथ के ही कब्जे में रही है आगे बयानों में यह भी कथन करते हैं कि यह बात सही है कि भंवर लाल इस जमीन को केसर एवं हरनाथ का बेटा होने से जोता है । इस प्रकार वादिनी के गवाह भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि बरजी की मृत्यु के बाद से ही इस आराजी पर हरनाथ का कब्जा था । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श–6 संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी हरनाथ के खाते में दर्ज हो चुकी है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी प्रदर्श– ए–1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी गोपी लाल वल्द जगन्नाथ के खाते में दर्ज हुई है और दान प्रदर्श– ए–2 पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार केसर ने आराजी गोपी लाल प्रतिवादी के पक्ष में रजिस्टर्ड दान से दान की है । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सन् 1961 में हरनाथ के खाते में दर्ज हो गई थी और हरनाथ के खाते से आराजी केसर के खाते में आई है । केसर ने कुछ आराजी भंवर लाल के पक्ष में दान की है और 15 बीघा आराजी प्रतिवादी गोपीलाल के पक्ष में दान की है । वादिनी ने सिर्फ प्रतिवादी गोपी लाल के पक्ष में अन्तरित आराजी को वादग्रस्त आराजी बताया है जबकि वो स्वयं को बरजी बाई की एकमात्र वारिस मानती है तो उन्हें भंवर लाल के पक्ष में किये गये अन्तरण को भी चैलेंज करना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी सन् 1977 में निष्पादित दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी के खाते में दर्ज हो

गई है उसके पूर्व सन् 1961 में बरजी की मृत्यु पर खोले गये नामान्तरकरण के आधार पर हरनाथ के खाते दर्ज हो गई है और वादिनी के गवाह पीडब्ल्यू– 3 ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बरजी के मरने के बाद जमीनें हरनाथ के कब्जे में रही हैं । भंवर लाल इन जमीनों को हरनाथ एवं केसर का बेटा होने से जोता है । वादिनों ने अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा लगान अथवा उस समय की खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है, जब कब्जेदार का नाम अंकित किया जाता था । गवाह भंवर लाल को स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता क्योंकि बरजी बाई की कुछ आराजी केसरबाई के दानपत्र के आधार पर उनके खाते में दर्ज है जिसे वादिनी ने चैलेंज नहीं किया है । इस प्रकार वादिनी सन् 1961 के पश्चात् दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा साबित नहीं कर पायी है । ऐसी स्थिति में वादिनी का दावा अवधि बाधित है । यदि वादिनी का वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने के बाबत् दावा अवधि बाधित है तो उन्हें हक घोषणा की भी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । डीएनजे 2006 (एससी) पेज 351 यहॉ चस्पा होती है । एआईआर 2016 (राज0) पेज 89 भी यहॉ चस्पा होती है ।

14. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने की समयावधि समाप्त हो गई है इस कारण इन्हें हक घोषणा की भी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । वादिनी अपीलान्ट के अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समाप्त हो चुके हैं ।

15. इन तथ्यों के आधार पर वादिनी का दावा अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.05.2012 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/317

श्रीमती पारी पत्नी छोटू पुत्री पिथा जाति धाकड निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गोपी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फलाईथा हाल निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 129/दावा/2003

श्रीमती पारी पत्नी छोटू पुत्री पिथा जाति धाकड निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. गोपी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फलाईथा हाल निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.05.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश नामधराणी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 02.05.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 05.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा